

डिक्री एवं मुकदमे ईबतदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 04/2025

- 1 कैवनदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 हरमन दीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ



बनाम

- वादीगण

- 1 प्रीतम सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 जगतार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रीतम सिंह पत्नी मखन सिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 गुरप्रीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह पत्नी हरदीप सिंह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 5 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर. ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विवेक बुडानिया वकील प्रतिवादी स. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 1 आई.डी.जी. खाता स. 150/62 खाता प्रीतम सिंह ज.स. 2073776 व चक 4 आई.डी.जी. खाता स. 141/111 खाता प्रीतम सिंह ज.स. 2071-74 में प्रति स. 1 प्रीतम सिंह पुत्र गजन सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा उक्त खाता से प्रति स. 1 प्रीतम सिंह पुत्र गजन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.
.......... निल..... 500/-..... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2025 को
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी